(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1199–एक/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–1–2013 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 292/अपील/2010–11.

1– अमरचंद साहू आत्मज स्व. परषोत्तम साहू
2– भगवानदास आत्मज स्व. पुरषोत्तम साहू
3– हरिशंकर आत्मज स्व. पुरषोत्तम साहू
4– प्रेमबाई पत्नी पुरषोत्तम साहू
निवासीगण गैरतगंज
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– रमेशकुमार आत्मज स्व. बाबूलाल जैन
2– ऋषभकुमार आत्मज बाबूलाल जैन
निवासीगण गैरतगंज
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 अमरचंद द्वारा तहसीलदार, गैरतगंज जिला रायसेन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गेहूरास स्थित भूमि सर्वे कमांक 7/3/1 रकबा 3.00 एकड़ में से 1.27 एकड़ पर उसके बाप–दादा के जमाने से कब्जा चला आ रहा है तथा सर्वे कमांक 2/1/2 रकबा 1.27 एकड़ पर रमेश कुमार वगैरह का कब्जा चला आ रहा है, अतः कब्जा अनुसार

बटान स्वीकृत किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 2–6–2007 को आदेश पारित कर बटान स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, बेगमगंज के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31–5–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 8–1–2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में इस स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर स्थल निरीक्षण कर मौके पर कब्जा के अनुसार बटान स्वीकृत किया गया था, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं थी । यह भी कहा गया कि आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर भी कोई विचार नहीं किया गया है कि अनावेदकगण तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, और उनके द्वारा अत्यधिक विलम्ब से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि बाह्य प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं लेने एवं प्रथम अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक कार्यवाही की गई थी । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा कब्जा के अनुसार बटान स्वीकृत किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा नक्शा संशोधित किया गया है, जबकि संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शा दुरूस्ती का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार होने से उन्हें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी, अतः इस आधार पर अपील निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और उनका आदेश क्षेत्राधिकार रहित आदेश है, इसलिए समय–सीमा का बन्धन लागू नहीं होता ।

(4) संहिता की धारा 74 ग्रामों के समहू बनाने से सम्बन्धित है, अतः तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 74 के अन्तर्गत आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2002 आर.एन. 359 व 238, 2006 आर.एन. 38 व 355, 2005 आर.एन. 183 व 23 एवं 2011 आर.एन. 317 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम गेहूँरास स्थित खसरा कमांक 7/3/1 रकबा 3.00 एकड़ एवं खसरा कमांक 2/1/2 रकबा 1.14 कुल रकबा 4.14 एकड़ पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर सीमांकन कराया गया था, जिसमें कुछ भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाया गया था । ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि पर हित निहित होने से वे हितबद्ध पक्षकार हैं, परन्तु तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को बिना सूचना दिये प्रश्नाधीन भूमि का बटान संशोधित किया गया है । आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसम्मत हैं, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के स्वत्वों को अनदेखा कर उनको सूचना दिये बिना ही बटान की कार्यवाही की गई है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए अनावेदकगण की अपील निरस्त की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–1–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर